राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

ासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस..

०पत्र संख्या– 248 / 2022
CMS No.2022/427

रामप्रसाद पुत्र श्री भानीसहाय उम्र .... वर्ष जाति अहीर (यादव) निवासी गणेशपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज०

.........प्रार्थी

ब–ना–म

1. जवाहरलाल पुत्र रामस्वरूप
2. नरेन्द्र पुत्र रामस्वरूप
3. बुधराम पुत्र रामस्वरूप
   1 लगायत 3 जाति अहीर (यादव) निवासी गणेशपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज०
4. माया पत्नी ओमप्रकाश पुत्री रामस्वरूप जाति अहीर (यादव) हाल निवासी भीलवाड़ा तहसील अटेली जिला महेन्द्रगढ़, हरि०
5. शारदा पत्नी धर्मवीर पुत्री रामस्वरूप जाति अहीर (यादव) हाल निवासी खातोद तहसील महेन्द्रगढ़, हरि०
6. धनपति पुत्री रामस्वरूप पत्नी लिलाराम जाति अहीर (यादव) हाल निवासी खातेदार तहसील महेन्द्रगढ़, हरि०
7. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा शिमला जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, खेतड़ी।

............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 / 111 भू राजस्व अधिनियम 1956
बाबत किये जाने पत्थरगढ़ी
खसरा नंबर 222 ग्राम गणेशपुरा

:: निर्णय :: दिनांक 15–02–2023

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम गणेशपुरा तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी अंतिम चौसाला संवत 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या नया 63 के खसरा नंबर 222 रकबा 0.35 है., ख.नं. 23 रकबा 0.25 है., ख.नं. 88 रकबा 0.32 है., ख.नं. 290 रकबा 0.53 है., ख.नं. 292 रकबा 0.72 है., ख.नं. 379 रकवा 0.53 है. कुल किता 6 कुल रकबा 2.70 है. भूमि में प्रार्थी संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा आपसी भाई बंटवारे में प्रार्थी के हिस्से में खसरा नंबर 222 रकवा 0.35 है. की भूमि आई हुई है जिस पर प्रार्थी निरन्तर काविज रहकर काश्त कर रहा है। ग्राम

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

गणेशपुरा स्थित जमाबन्दी अंतिम चौसाला संवत 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या नया 24 के खसरा नंबर 22 रकबा 0.50 है., ख.नं. 220 रकबा 0.07 है., ख.नं. 221 रकबा 0.33 है., ख.नं. 285 रकबा 0.63 है., ख.नं. 287 रकबा 0.32 है., ख.नं. 289 रकबा 0.61 है., ख.नं. 369 रकबा 0.06 है., ख.नं. 380 रकबा 0.18 है. कुल किता 8 कुल रकबा 2.70 है. भूमि के अप्रार्थी सं. 1 लगा. 6 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा अप्रार्थीगण निरन्तर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। अप्रार्थीगण की उक्त भूमि खसरा नंबर 221 रकबा 0.33 है. की भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख.नं. 222 रकबा 0.35 है. के पश्चिम दिशा में सींव जोड़ स्थित है। प्रार्थी की भूमि हाल खसरा नंबर 222 रकबा 0.35 है. की पश्चिमी सीमा अप्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 221 रकबा 0.33 है. के साथ लगती है, अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 6 प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 222 की पश्चिमी सीमा के साथ तोड़ फोड़ करते रहते हैं। इस पर प्रार्थी ने तहसीलदार, खेतड़ी को सीमाज्ञान करवाने हेतु आवेदन पेश किया जिस पर तहसीलदार, खेतड़ी ने पटवारी हल्का रवां के नाम से प्रार्थी की उक्त भूमि खसरा नंबर 222 रकबा 0.35 है. का सीमाज्ञान करवाने का आदेश दिया। पटवारी हल्का दिनांक 09.06.2022 को ग्राम गणेशपुरा में मौके पर सीमाज्ञान करवाने हेतु पहुंचे। उसके बाद पटवारी हल्का रवां ने कार्यालय भू.अ. झुन्झुनूं द्वारा जारी शीट के मुताबिक जरीब चलाकर खसरा नंबर 222 रकबा 0.35 है. का सीमाज्ञान कराया और मौके पर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं सीमा चिन्ह् कायम किये। अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 6 उक्त सीमाज्ञान को नहीं मान रहे हैं तथा अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 6 मौका देखकर प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 222 रकबा 0.35 है. की पश्चिमी सीमा को तोड़ देते हैं एवं सीमा चिन्हों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए यह आवेदन प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 222 रकबा 0.35 है. की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की वाके ग्राम गणेशपुरा तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी अंतिम चौसाला संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या नया 63 के खसरा नंबर 222 रकबा 0.35 है. भूमि की पश्चिमी सीमा जो अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 221 रकबा 0.33 है. के साथ लगती है, उक्त खसरा नंबर 222 रकबा 0.35 है. की सर्वे रिपोर्ट से नपती करवाकर नंबर 222 रकबा 0.35 है. की पश्चिमी सीमा पर पुख्ता सीमेन्ट व पत्थर के पिलर लगवाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस जारी की गई। अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने ग्राम गणेशपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 222 में अपने हिस्से में आयी भूमि

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

पर नपति करवाकर कई वर्षो पहले पुख्ता चार दीवारी बना ली थी तथा उसके पश्चात् पुख्ता मकानात भी बना लिये हैं जिसमें प्रार्थी आबाद है प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 222 की पश्चिमी सीमा की तरफ प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं रहा है तथा ना ही वहां कोई मेड़ बदी स्थित है अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने प्रार्थी के खेत की पश्चिमी सीमा पर स्थित चार दीवारी से कोई छेड़छाड़ या तोड़फोड़ नहीं की प्रार्थी ने महज अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने बाबत तथा अप्रार्थी के खेत खसरा नंबर 221 की पूर्वी सीमा पर कब्जा करने की नियत से यह झूठा मनगढ़ंत प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

अप्रार्थीगण सं. 2, 4 से 8 बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर, इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल फर्द सीमाज्ञान दिनांक 09.06.2022, नकल जमाबंदी संवत् 2074–2077 खाता सं. 63, खाता सं. 24 ग्राम गणेशपुरा नक्शा नक्शा ट्रेस पेश किये।

अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से विवादित स्थल के फोटो ग्राफ्स पेश किये गये।

बहस योग्य विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। ग्राम गणेशपुरा की जमाबंदी संवत् 2074–2077 खाता सं. 63 खसरा नंबर 222 रकबा 0.35 है. प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं। फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 09–06–2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि का प्रार्थी ने सीमाज्ञान भी विधिवत् रूप से करवाया है तथा प्रार्थी पुनः ख.नं. 222 का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं जो विधिसम्मत है।

<u>आदेश</u>

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर तहसीलदार, खेतड़ी को आदेश दिया जाता है कि वह उभय पक्षकारान की उपस्थिति में ग्राम गणेशपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 222 रकबा 0.35 है. भूमि की पुनः नपति कर रू. 400/– की फीस पर पत्थरगढ़ी करवायें तथा पालना रिपोर्ट यथाशीघ्र भिजवायें।

निर्णय आज दिनांक 15–02–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner